न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 26 / 2021

प्रार्थी

श्री भूराराम पुत्र श्री टापराजी मेघवाल निवासी मडगांव, स्टेशन बाकरा रोड जिला जालोर फर्म मैसर्स एबीएन कॉरपोरेशन, कृष्णा एपार्टमेन्ट राजनगर, पालडी अहमदाबाद।

बनाम

अप्रार्थी

1. प्रगती गायकवाड पुत्री श्री दशरथ गायकवाड जाति मेहर निवासी मकान नं. 351–352 फेज–1 ब्लॉक–ए, विजय विहार रिठाला दिल्ली।
2. ममता सेठी पुत्री श्री अगाधू सेठी जाति धोबी निवासी मकान नं. 351–352 फेज–1 ब्लॉक–ए, विजय विहार रिठाला दिल्ली।
3. कविता पुत्री श्री बाबूलाल जाति कोली निवासी ओरिया– माउण्ट आबू जिला सिरोही।
4. तेजस्विनी कुमारी सेठी पुत्री श्री गोपालकृष्ण जाति सेठी निवासी ओरिया– माउण्ट आबू जिला सिरोही।
5. लक्ष्मी पुत्री श्री मिश्रीलाल जाति चमार(मोची) निवासी सालगांव–माउण्ट आबू जिला सिरोही।
6. श्री नारायण पुत्र श्री गोवाराम जाति मेघवंशी निवासी 1534–डी 19 कीका भाई घांची, खानपुर भरडियावास ए अहमदाबाद–1
7. श्री मूलचन्द पुत्र श्री उना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
8. श्री नगाराम पुत्र श्री उना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
9. श्रीमती नीता देवी पुत्री श्री उना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
10. श्रीमती कुकीदेवी पत्नि श्री उना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
11. श्री तलसा पुत्र श्री गोवा जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
12. श्री तरूण कुमार पुत्र श्री शंकरजी जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
13. श्री दरगा पुत्र श्री धन्ना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
14. श्री रूपा पुत्र श्री धन्ना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
15. श्री परभा पुत्र श्री धन्ना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
16. श्रीमती धरमी बेवा श्री धन्ना जाति मेघवंशी निवासी देलवाडा आबूपर्वत जिला सिरोही।
17. सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:31:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम, 1963

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेष वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अमोल कोंकणे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से।
3. श्री नायब तहसीलदार (पेरोकार सरकार) सिरोही

निर्णय

दिनांक : 25.05.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र भारतीय म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 324 दिनांक 07.10.2014, नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 20.02.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 20.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील के साथ साथ पेश किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से अधिवक्ता श्री अमोल कोंकणे ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या छः से सोलह को पूर्व में जवाब हेतु कई अवसर दिए गए, परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या छः से सोलह का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या सात से सोलह बहस हेतु नियत समय पर भी उपस्थित नही हुए।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री सुरेश वैष्णव द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा देलवाडा के खसरा संख्या 368 रकबा 14.09 बीघा किस्म बंजर के तत्कालीन खातेदार अप्रार्थी संख्या छः से सोलह ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी के साथ छल कारित करते हुए अलग–अलग समय पर अलग–अलग विक्रय विलेख का निष्पादन अप्रार्थी संख्या एक से पांच के हक में निष्पादित करवा दिया। अप्रार्थी संख्या एक से पांच को उक्त तथ्य की पूर्ण जानकारी होते हुए कि उपरोक्त कृषि आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या छः से सोलह ने प्रार्थी को करके उसके प्रतिफल की राशि प्राप्त कर ली है, उक्त आराजी को क्रय किया। यह है कि प्रार्थी मैसर्स एबीएन कॉरपोरेशन द्वारा उक्त आराजी का रूपान्तरण कर उसको डवलपमेन्ट किया जा रहा था तथा उक्त आराजी का पजेशन भी प्रार्थी मैसर्स एबीएन कॉरपोरेशन के पास था, बावजूद इसको अप्रार्थी संख्या एक से पांच ने उक्त आराजी को जानबूझकर खरीद किया तथा समकालीन राजस्व अधिकारी एवं पटवारी से सांठ–गांठ कर उन विक्रय विलेखों के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक से पांच के नाम से उक्त नामान्तरकरण दर्ज किए गए। चूंकि प्रार्थी अनपढ गरीब आदमी है तथा प्रार्थी फर्म अपने व्यावसायिक कार्य से गुजरात में होने से कानूनी कार्यवाही करने में देरी हुई है, जिसमें उनकी कोई लापरवाही या बदनियती नहीं रही है अतः विलंब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश प्रदान करावें ।

अप्रार्थी संख्या एक से छः की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अमोल कोंकणे ने अपनी बहस में निवेदन किया कि [illegible] उक्त प्रार्थना को देरी से प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया । प्रार्थी श्री भूराराम द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक [illegible] गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी को [illegible] 2015 [illegible] नामान्तरकरण के बारे में ज्ञात हो गया था, उसके बाद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील छः साल की देरी से प्रस्तुत की है, जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 78 के तहत 30 दिन के अन्दर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:31:23 IST
Reason: SelfAttested

Bullo
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत सिविल अपील संख्या 1246/1984 उत्तरप्रदेश सरकार बनाम जिला न्यायाधीश व अन्य निर्णय दिनांक 11.10.1996, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 148 एवं 262/1998 मरूधर कंवर बनाम राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 26.11.2014, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13101/2019 पदमसिंह व अन्य बनाम राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य निर्णय दिनांक 11.09.2019 एवं (1986) आर.आर.डी. 767 अपील संख्या 17–19/1980 देवीलाल बनाम काना निर्णय दिनांक 18.09.1986 प्रस्तुत किए।

अप्रार्थी संख्या सत्रह की ओर से बहस में श्री नायब तहसीलदार, सिरोही पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा उक्त अपील देरी से प्रस्तुत की गई है। अतः उसे म्याद बाहर माना जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन करने पर निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार आबूरोड द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 324 दिनांक 07.10.2014, नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 20.02.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 20.03.2014 के विरूद्व अपील दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील 30 दिन के अन्दर अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इस हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी अनपढ गरीब आदमी है तथा प्रार्थी फर्म अपने व्यावसायिक कार्य से गुजरात में होने से कानूनी कार्यवाही करने में देरी हुई है एवं प्रार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होते ही बिना किसी देरीना के उक्त अपील प्रस्तुत की है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा नामान्तरकरण संख्या 324 दिनांक 07.10.2014, नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 20.02.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 20.03.2014 को स्वीकृत किए गए थे। प्रार्थी ने वर्ष 2014–15 से 6 साल की लम्बी अवधि के बाद दिनांक 26.07.2021 को अपील इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थी अधिवक्ता के कथन से हम प्रथम दृष्टया सहमत नहीं है कि प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है। यह कि प्रार्थी स्वयं गुजरात में व्यावसायिक फर्म का मालिक है एवं उसे संचालित कर रहा है। अतः प्रथम दृष्टया यह मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है, जिसे उक्त नामान्तकरण की जानकारी नहीं हुई। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व पुलिस थाना आबूपर्वत में अन्तर्गत धारा 420, 120बी आई.पी.सी. के तहत वर्ष 2015 में मुकदमा दर्ज करवाया, जो मुकदमा संख्या 15/2015 पर दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या छः से सोलह ने उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा 368 का विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या एक से पांच के नाम पर करवा दिया गया है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में दायर कर लिए गए है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व में ही हो गई [illegible] द्वारा पुलिस थाना आबूपर्वत के एफ.आई.आर. संख्या 15/2015 में किए [illegible] से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त नामान्त[illegible] उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा वर्ष 2015 से लगभग छः वर्ष [illegible] एवं वर्ष 2015 के नामान्तरकरण के भी लगभग [illegible] करने में हुए विलम्ब का कोई ठोस आधार नहीं बताया है। अप्रार्थी अधिवक्ता [illegible] प्रस्तुत विधिक दृष्टांत सिविल अपील संख्या 1246/1984 उत्तरप्रदेश सरकार बनाम जिला न्यायाधीश व अन्य निर्णय दिनांक 11.10.1996, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 148 एवं 262/1998 मरूधर कंवर बनाम राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 26.11.2014, एस.बी. सिवित रिट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:31:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पिटिशन संख्या 13101/2019 पदमसिंह व अन्य बनाम राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य निर्णय दिनांक 11.09.2019 एवं (1986) आरआरडी 767 अपील संख्या 17–19/1980 देवीलाल बनाम काना निर्णय दिनांक 18.09.1986 के अवलोकन से भी यह पाया जाता है कि उक्त विधिक दृष्टांतों में सक्षम न्यायालयों द्वारा भी बिना किसी ठोस आधार के विलम्ब की अवधि को कन्डोन नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का म्याद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:31:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner